नारायण दत और अन्य

बनाम

पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

(2011 की सिविल अपील सं. 2058)

24 फरवरी, 2011

[जी. एस. सिंघवी और अशोक कुमार गांगुली, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 161 - राज्यपाल द्वारा क्षमा की मंजूरी अनुच्छेद 161 के तहत - क्षमा शक्ति की प्रकृति और दायरा -ऐसी शक्ति पर न्यायिक समीक्षा का विस्तार- एक व्यक्ति की हत्या- अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त-अपीलार्थी को धारा 302 आई. पी. सी. आर/डब्ल्यू के अन्य प्रावधान आई. पी. सी. के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास सजा की।-सभी अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की- अपीलों की लंबितता के दौरान, अपीलकर्ताओं ने भी राज्य के राज्यपाल के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत याचिकाएं दायर कीं-राज्यपाल ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हे रिहा करने का निर्देश दिया गया - इस के विरुद्घ रिट याचिका दायर की गई थी -उच्च न्यायालय ने क्षमा के आदेश को अपास्त कर दिया - अभिनिर्धारित - अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल द्वारा शक्ति के प्रयोग की न्यायिक अवेक्षा दायरा सीमित है -

इस मामले में, इससे पहले कि राज्यपाल आदेश पारित कर क्षमा कर सके, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ अपील दायर की और वे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थे -यह एक प्रासंगिक तथ्य था कि राज्यपाल क्षमा की शक्ति को स्वीकार करने से पहले इस पर विचार करे -लेकिन, राज्यपाल के आदेश में इस तथ्य का कोई संदर्भ नहीं था -इसलिए, संभवतः राज्यपाल के समक्ष सभी प्रासंगिक तथ्य नहीं रखे गये थे-इसके अलावा, राज्यपाल के आदेश में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि राज्यपाल के आदेश् में, अभियुक्त-अपीलार्थियों के अपराध या निर्दोषता के बारे में कुछ टिप्पणियां थीं-आपराधिक मुकदमे में कानून के न्यायालय की शक्तियां और बाद में उच्चतम न्यायालय में अपील का अधिकार और राष्ट्रपति/राज्यपाल संविधान का अनुच्छेद 72/161 के अधीन कार्य सम्पूणर्तया अलग कार्यक्षेत्र में लागू होता है और इन दोनों शक्तियों की प्रकृति भी एक-दूसरे सम्पूणर्तया अलग अलग है-एक शक्ति का दूसरी शक्ति पर दखलन्दाजी नहीं होनी चाहिए- राज्यपाल का यह आदेश, अभियुक्त की निर्दोषिता के साथ सुनाया गया इसलिए संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अनुमेय संवैधानिक सीमाएँ से अधिक हो गया -राज्यपाल के आदेश को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है- मामला कानून के अनुसार पुनः विचार के लिए राज्यपाल को भेजा जाता है -दंड संहिता, 1860-ss। 148,302/149, 323, 149, 324, 325 और 326।

एक व्यक्ति की हत्या से जुड़े आपराधिक मामले में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी अभियुक्त को धारा 302 आई. पी. सी. आर/डब्ल्यू आई. पी. सी. के अन्य प्रावधान के तहत दोषी ठहराया अैार आजीवन कारावास से दण्डित किया। सभी अभियुक्त याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में अपील की। अपीलों की विचाराधीनता के दौरान, अभियुक्त-अपीलार्थी ने राज्य के राज्यपाल के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत याचिकाएं भी दायर की । राज्यपाल ने उन्हें माफी दी और उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया गया। इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने राज्यपाल की माफी के आदेश को अपास्त कर दिया।

इन अपीलों में, विचारणीय वे प्रश्न जो उत्पन्न हुए थेः 1) क्या अनुच्छेद के तहत शक्ति 161 संविधान न्यायिक समीक्षा के अधीन है और यदि हाँ, किस हद तक और 2) क्या इस मामले में राज्यपाल ने क्षमा करने के लिए अपनी शक्ति का संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत सही उपयोग किया था।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 161 राज्य के राज्यपाल को किसी भी विधि के विरूद्व किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा करना, छूट देने, राहत देने या कम

करने का अधिकार प्रदान करना एक ऐसे मामले से संबंधित है जिसके लिए राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। [पारस 18,19] [992-डी-ई]

1.2 राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 161 के तहत शक्ति का प्रयोग की न्यायिक समीक्षा का सीमित क्षेत्र है। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा देने की शक्ति संवैधानिक शक्ति है। इसकी निम्नलिखित आधारों पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है (क) यदि राज्यपाल सरकार द्वारा सलाह दिए बिना स्वयं शक्ति का प्रयोग करते हुए पाया गया था , ख) यदि राज्यपाल ने उक्त शक्ति प्रयोग करने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया , ग) यदि राज्यपाल ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना आदेश पारित किया था , घ) राज्यपाल का आदेश दुर्भावनापूर्ण था, या ई) राज्यपाल का आदेश कुछ बाहरी विचारों पर पारित किया गया था। इसके अलावा, यदि राज्यपाल इस तरह के सामान्य विचारों से अवगत नहीं थे जैसे कि दोषी सजा की अवधि जिसके अधीन दोषी है, उसका सजा काटते समय आचरण और व्यवहार और इस तरह के अन्य महत्वपूर्ण विचारों पर विचार करते हुए, तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के आदेश को मनमाना और अतार्किक बना देगा। [पारस 28,29,36] [995-ई-एच; 996-बी; 997-ई-एफ]

1.3 यह स्वयंसिद्ध है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की शक्ति को प्रयोग में लेने से पहले, पूर्ववर्ती शर्त यह है कि व्यक्ति या व्यक्तियों को विधि के विरुद्घ अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए औार सजा के अधीन होने चाहिए। इसलिए, अभियुक्त के संबंध में राज्यपाल के आदेश में दोषसिद्धि या सजा के आदेश का किसी भी संदर्भ को छोड़ने का वास्तव में कोई परिणाम नहीं है। [पैरा 38] [997-जी-एच; 998-ए-बी]

1.4 हालाँकि, इस मामले में इससे पहले कि राज्यपाल माफी का उपरोक्त आदेश पारित कर सकें, अभियुक्त व्यक्ति दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई और ये उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी। राज्यपाल के लिए क्षमा करने की अपनी शक्ति स्वीकार करने से पहले विचार करने के लिए यह एक प्रासंगिक तथ्य है। लेकिन, राज्यपाल के इस आदेश में इस तथ्य का कोई संदर्भ नहीं है। इसलिए यह न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने के लिए इच्छुक है कि सभी प्रासंगिक तथ्य संभवतः राज्यपाल के समक्ष नहीं रखे गए थे। इसके अलावा, राज्यपाल के आदेश में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि राज्यपाल, अभियुक्त व्यक्तियो जिन्होने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत माफी के लिए प्रार्थना की, के अपराध या निर्दोषता के बारे में कुछ टिप्पणियां की थी। [पैरा 39, 40] [998 - सी-ई]

मारू राम और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य AIR1980 SC 2147; केहर सिंह और अन्य V. भारत संघ और अन्य AIR1989 SC 653; स्वर्ण सिंह बनाम यू. पी. और अन्य राज्य; AIR1998 SC 2026 = 1998 (2) SCR 206; सतपाल और अन्य V. राज्य हरियाणा और अन्य। AIR 2000 SC 1702 = 2000 (3) SCR 858;विकास चटर्जी बनाम भारत संघ और अन्य. (2004) 7 SC 634; एपुरू सुधाकर और अन्य V. ए. पी. और अन्य की सरकार AIR 2006 SC 3385 = 2006 (7) SUPPL। SCR. 81- पर भरोसा किया।

एक्स पार्ट विलियम्स वेल्स (1854-57) 15 लॉ एड 421 [यू. एस. सुप्रीम कोर्ट]; एक्स पार्ट फिलिप ग्रॉसमैन (1924) 267 यू. एस. 87 और यू. एस. बनाम बेंज, (1930) 75 लॉ एड 354- संदर्भित

2. यह सुस्थापित है कि एक आपराधिक मुकदमे में एक आरोपी व्यक्ति पर निर्दोषता या अन्यथा पर निर्णय लेना सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार भीतर अनिवार्य रूप से एक न्यायिक कार्य है। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमा स्वीकार करने की शक्ति कार्यपालिका के कार्य का प्रयोग करना है जो न्यायालय को अभियुक्त की निर्दोष या दोषी घोषित करने शक्ति से स्वतंत्र है। आपराधिक मुकदमे के विचारण में न्यायालय की शक्तियाँ और बचे हुए इस न्यायालय तक के अपील के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 72/161 के तहत

राष्ट्रपति/राज्यपाल पूरी तरह से अलग क्षेत्रों में काम करते है और इन दोनों शक्तियों की प्रकृति भी एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है।

एक को दूसरे पर दखलन्दाजी नही करनी चाहिए। इसलिए राज्यपाल कायह आदेश,अभियुक्त की निर्दोषता की घोषणा करने से, संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अनुमत संवैधानिक सीमाओ से आगे चला गया है। राज्यपाल का आदेश अनुमत नही किया जा सकता है । इसलिए राज्यपाल का आदेश अपास्त किया जाता है और मामला फिर से राज्यपाल के पास कानून के अनुसार विचार करने हेतु भेज दिया जाता है । [पारस 41 और 42] [998 - एफ-एच; 999-ए]

मामला कानून संदर्भः

AIR 1980 SC	पर भरोसा किया	पैरा 20
AIR 1989 SC 653	पर भरोसा किया	पैरा 24
1854-57) 15 Law Ed 421		
(U.S. Supreme Court]	पर भरोसा किया	पैरा 24
(1924) 267 us 87	पर भरोसा किया	पैरा 24
(1930) 75 Law Ed	पर भरोसा किया	पैरा 24

354

1998 (2) SCR 206 पर भरोसा किया पैरा 27

2000. (3) SCR 858 पर भरोसा किया पैरा 28

(2004) SCC634 पर भरोसा किया पैरा 30

2006 (7) Suppl. SCR पर भरोसा किया पैरा 31

81

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील संख्या 2058 2011

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2008 के सी. डब्ल्यू. पी. न. 2147 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 11.03.2008 से के साथ

2011 का सी. ए. सं. 2059

यू. यू. ललित, कामिनी जयसवाल, अभिनानुए श्रेष्ठ, डी. पी. सिंह अपीलार्थी के लिए।

उत्तरदाताओं के लिए राजू रामचंद्रन, अमिता गुप्ता, राहत बंसल, अजय पाल।

न्यायालय का निर्णय गांगुली, जे. द्वारा पारित किया गया था

1 देरी को माफ कर दिया गया।

2. दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति दी जाती है। इन्हें तथ्यों और कानून के सामान्य प्रश्नों जो कि इनमे शामिल है, एक साथ सुना जाता है।

3. किरणजीत कौर एक विकलांग विद्यालय के मास्टर की बेटी, जब वह स्कूल से 29.07.1997 को लौट रही थी, का अपहरण कर लिया गया था और फिर गुरप्रित सिंह, जगराज सिंह, देश राज और प्रताप सिंह द्वारा सामूहिक बलात्कार और हत्या कर दी गई। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बर्नाला ने विचारण के दोषी ठहराया अैार उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी। यह सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य समिति का गठन किया गया था कि अभियुक्त व्यक्ति उस लकड़ी के सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या में शामिल था जिससे अभियुक्त दण्डित हुआ । यह समिति अन्य के साथ मनजीत सिंह, प्रेम कुमार अैार नारायण दत से बनी थी अभियुक्त इसके सदस्यों के रूप में थे। अंततः किरणजीत कौर के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी व्यक्तियों को दंडित किया, जैसा कि ऊपर कहा गया है।

4. 3.03.2001 को, बेअंत सिंह (जगराज सिंह के पिता),दलीप सिंह (जगराज सिंह के दादा), वर्णम सिंह और राजिंदर पाल सिंह (दलीप सिंह का भतीजा), आपराधिक मामले की सुनवाई के बाद अदालत से बाहर आते समय एक 7 लोगों की भीड़ ने हमला किया, जिनमें सुखविंदर सिंह, लाभ

सिंह, अवतार सिंह (सभी कृपाणों से लैस), बख्तौर सिंह(घोप से लैस), मंजीत सिंह (किरच से लैस) प्रेम कुमार और नारायण दत्त (दोनों बिना किसी हथियार के) के साथ शामिल थे। जाहिराना तौर पर बख्तौर सिंह ने दलीप सिंह को आगे रखा, जिसे कथित तौर पर प्रेम कुमार और नारायण दत्त द्वारा पकड़ा जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई।

5. बेअंत सिंह ने उसी दिन आईपीसी की धारा 307,148,149 और 120-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की और मामले में जांच शुरू की। जाँच के दौरान दलीप सिंह की मृत्यु हो गई इसलिए धारा 302 आईपीसी का चार्ज जोडा गया। अन्वेषण के पश्चात पुलिस ने अपनी रिपोर्ट 173 द.प्र.स. के तहत में पाया गया कि मंजीत सिंह, प्रेम कुमार और नारायण दत्त निर्दोष थे। इस प्रकार, पुलिस ने केवल शेष चार अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/34,326,325,324 और 323 के तहत आरोप पत्र दायर किया था और मामला सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंपा गया था। मुकदमे के विचारण में, बेअंत सिंह ने 11.9.2001 को एक आवेदन धारा 319 द.प्र.स. के तहत दायर किया, जिसके बाद सत्र न्यायाधीश ने 19.9.2001 को एक आदेश द्वारा मंजीत सिंह, प्रेम कुमार और नारायण दत्त को तलब किया। सत्र न्यायाधीश ने उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाया और उन तीनों सहित सभी अभियुक्त के खिलाफ 6.2.2002 को धारा 302,148,326 के तहत,325,324 और पर आई. पी. सी. की धारा 323 के अधीन आरोप विरचित किए ।

6. हालाँकि, तब अभियोजन पक्ष ने दिनांकित 29.10.2002 एक आवेदन धारा 321 द.प्र.स. के तहत मंजीत सिंह, प्रेम कुमार और नारायण दत्त के खिलाफ मामला वापस लेने की मांग रखते हुए दायर किया और

जिसे निचली अदालत ने दिनांकित 7.11.2002 आदेश के माध्यम से अस्वीकार कर दिया था।

7. पीड़ित, अभियुक्त ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएँ दायर कीं (न. 2248/2002 और 2413/2002), जिन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिनांकित 14.10.2003 के सामान्य आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। पंजाब राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के दिनांक 14.10.2003 के आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका इस न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दिया गया था।

8. तदनुसार, सभी 7 अभियुक्त के खिलाफ मुकदमे का विचारण शुरू हुआ।

9. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बर्नाला ने दिनांकित 28.03.2005 के निर्णय और आदेश द्वारा सभी अभियुक्त को दोषी ठहराया आर आई. पी. सी. की धारा 148 और धारा 302,302/ 149, 323, 149, 324, 325 और विभिन्न मामलों पर 326 के अधीन उन्हे दोषी ठहराया और 30.03.2005 को आजीवन कारावास का आदेश पारित किया गया।

10. सभी अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा में अपील की । अपीलों के लंबित रहने के दौरान, भारत के संविधान के

अनुच्छेद 161 के तहत पंजाब के राज्यपाल के समक्ष याचिकाए प्रस्तुत की।

11. पंजाब के राज्यपाल, दिनांक 24.07.2007 के आदेश के माध्यम से, अनुच्छेद 161 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नारायण दत्त, प्रेम कुमार और मंजीत सिंह को क्षमा प्रदान की गई अैार उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया।

12. उस आदेश को चुनौती देते हुए राजिंदर पाल सिंह ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

13. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की आपराधिक अपील और राजिंदर पाल सिंह की रिट याचिका की एक साथ सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने विचार के लिए दो प्रश्नः तय किएः

ए.) क्या अभियोजन पक्ष का मामला अभिलेख पर साक्ष्य द्वारा सभी अपीलार्थी के खिलाफ साबित होता है?

बी.) क्या माफी का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ है?

14. विवादित कॉमन निणर्य फैसले दिनांकित 11.03.2008, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और पंजाब के राज्यपाल की माफी के आदेश को रद्द कर दिया। इसने प्रेम कुमार और नारायण दत्त को संदेह का लाभ, और उनकी अपीलों की स्वीकार कर उन्हें दोषमुक्त कर

दिया। हालांकि, सुखविंदर सिंह, लाभ सिंह, बख्तौर सिंह, अवतार सिंह और मंजीत सिंह की दोषसिद्धि और सजा, को उच्च न्यायालय ने यथावत रखा गया और यह राय थी कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ अपराधों को सफलतापूर्वक स्थापित किया था। 15. उक्त विवादित निर्णय के विरुद्ध पंजाब राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दिनांकित 11.03.2008 दायर की (सी. सी. No.3090/2010)। अभियुक्त नारायण दत्त, प्रेम कुमार और मंजीत सिंह ने भी इस न्यायालय के समक्ष एक और विशेष अनुमति याचिका दायर की (न.11544/2008)। दोनों विशेष अनुमति याचिकाएं उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की गई थीं न्यायालय जिसके द्वारा पंजाब के राज्यपाल द्वारा क्षमा का आदेश अपास्त कर दिया गया।

16. इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, विधि प्रशन हमारे सामने उत्पन्न हो रहे हैं।

ए.) क्या अनुच्छेद 161 के तहत शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है और यदि हाँ, तो किस हद तक?

बी.)क्या राज्यपाल ने अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा करने के लिए अपनी शक्तिका उचित प्रयोग किया था ?

17. राज्यपाल का आदेश दिनांकित 6.8.2007, जो वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक, निम्नानुसार हैः

" मैंने इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद से ही व्यापक सार्वजनिक विश्वास है कि सर्वश्री नारायण दत्त, प्रेम कुमार और मंजीत सिंह को दलीप सिंह की हत्या में गलत तरीके से फंसाया गया था, क्योकि उनकी भूमिका कार्रवाई समिति के नेताओं के रूप है जो किरणजीत कौर का परिवार को न्याय सुनिश्चित करने के लिए गठीत है। इस बात की पुष्टि मामले की अन्वेषण में की गई है, जिसके दौरान, उपरोक्त तीन व्यक्ति निर्दोष पाए गए। इंटेलिजेंस विंग ने भी इन लोगों की निर्दोषता का समर्थन किया है । यह भी उल्लेखनीय है कि दलीप सिंह की हत्या के आरोपी और दोषी ठहराए गए 7 व्यक्तियों में से केवल उन तीन व्यक्तियों को क्षमा कर दिया गया जिन्हे निर्दोष पाया गया है। यह लाभ अन्य 4 अभियुक्त के लिए प्रस्तावित नहीं किया गया है। इसके अलावा, प्रारम्भ में पिछली सरकार द्वारा माफी की सिफारिश अनुषंशा की गई थी, और वर्तमान सरकार द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है। इसलिए, क्षमा के लिए अनुषंशा सदूभावपूर्वक अैार उद्देश्यपूर्ण प्रतीत होती है। अदालतों ने अनुच्छेद 72 और 161 के तहत शक्ति को एक व्यापक शक्ति माना है,

कि जो अन्य उद्देश्यों के साथ उन मामलो में न्याय करने के प्रदान की जाती है जहाँ अदालतें एक व्यक्ति को दोषी ठहरा सकती हैं उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं अनुच्छेद 161 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करता हूं और सर्वश्री नारायण दत्त, प्रेम कुमार और मंजीत सिंह को एफ. आई. आर. संख्या 56 दिनांक 03.03.2001 में पी. एस.-कोतवाली बर्नाला में "क्षमा" प्रदान करता हूं"।

18. भारत के संविधान का अनुच्छेद 161 किसी राज्य के राज्यपाल को क्षमा, छूट देने का अधिकार, किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को कम करता है या प्रदान करता है - जिसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।

19. क्षमा की शक्ति की प्रकृति और दायरा और इस तरह की शक्ति पर न्यायिक समीक्षा की सीमा कई मामलों में विचार कर सामने आई है और अब लगभग कानून के शासन में परिवर्तित हो गया है।

20. मारू राम और अन्य और वी. भारत संघ और अन्य [ए.आइ.आर 1980 एस. सी. 2147] में कृष्ण लायर जे, संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए, ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि अनुच्छेद 72 और 161 के अधीन शक्ति बहुत व्यापक थी लेकिन यह 'काबू से बाहर' नही हीे

सकती। उनकी लाॅर्डसिप ने अभिनिर्धारित किया कि कोई कानूनी शक्ति अनियंत्रित नही हो सकती जैसे घोड़े पर सवार जॉन गिलपिन । लाॅर्डसिप के अनुसार," संवैधानिक शक्ति सहित सभी सार्वजनिक शक्तियों का कभी भी मनमाने ढंग से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से उपयोग नहीं किया जाएगा और, सामान्य रूप से, दिशानिर्देश का निष्पक्ष और समान निष्पादन, वैध कार्य की गारन्टी हैं "। (पी 2170 पर पैरा 62)

21. न्यायालय ने आगे कहा कि "अनुच्छेद 14 संविधान की एक समतावादी भावना की अभिव्यक्ति है और एक स्पष्ट संकेत है कि मनमानापन हमारी प्रणाली के तहत अभिशाप है। यह आवश्यक रुप से इस बात का अनुसरण करता है कि क्षमा करने की शक्ति, क्षमा और परिवर्त्तन, नागरिक की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा क्षण होने के नाते जो अपने आप में एक कानून नहीं हो सकता, लेकिन सवैधांनिकता के महत्वपूर्ण सिद्वान्तो के अनुसार होना चाहिए। संविधान पीठ ने यह भी कहा कि "सरकार को अपनी उदारता के लिए प्राप्तकर्ताओं के चयन में एक व्यक्ति के रूप में ना तो स्वतंत्र है अैार ना ही स्वतंत्र होना चाहिए। उसकी गतिविधि जो भी हो, सरकार अभी भी एक सरकार है जो प्रतिबन्धो एवं लोकतांत्रिक समाज में अपनी स्थिति के अन्तर्निहित के अधीन है। एक लोकतांत्रिक सरकार उन व्यक्तियों की पसंद के लिए मनमाने और मनमौजी मानक नही बन सकती

है जिनके साथ वह अकेले व्यवहार करेगी...। कार्यकारी सरकार की प्रत्येक कार्रवाई को कारण सहित सूचित करके किया जाना चाहिए और मनमानेपन से मुक्त होना चाहिए...। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या शक्ति के प्रयोग में कुछ अधिकार प्रभावित होते है या किसी विशेषाधिकार का इनकार होता है...। इस दृष्टिकोण से यद्यपि क्षमा करने, छूट करने या माफ करने की शक्ति भी इस संपूर्ण सिद्वांत के अधीन है कि दिशानिर्देशों को राष्ट्रपति की शक्ति के अभ्यास को भी नियंत्रित करना चाहिए। (पैरा 63 पृष्ठ 2170-71)

22. पीठ ने आगाह किया कि राजनीतिक प्रतिशोध या पार्टी पक्षपात इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने का आधार नहीं होना चाहिए। यह भी सलाह दी कि सरकार को माफी की शक्ति के प्रयोग में अपने स्वयं के मार्गदर्शन के लिए भेदभाव की बुराई को हटाने के लिए नियम बनाने चाहिए।

23. अंत में, पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 72/161 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए विचार "असंख्य हो सकते हैं और उनके अवसर पोषक होते हैं, और उपयुक्त सरकार पर छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी विचार या अवसर पूरी तरह से अप्रासंगिक, तर्कहीन, भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण नहीं हो सकता है। केवल इन दुर्लभ मामलों में अदालत इस अभ्यास की जांच करेगी। (पैरा 72 पृष्ठ 2175)

24. संविधान पीठ के बाद के फैसले केहर सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अंय [ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 653] में इसी प्रश्न पर, इस न्यायालय ने इस शक्ति के प्रयोग की जांच करने की अपनी शक्ति पर संयुक्त राज्य अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के एक्स पार्ट विलियम्स वेल्स, (1854-57) 15 लॉ एड 421 को उद्धृत किया और इंगित किया कि इसका उपयोग "विशेष रूप से जब किसी भी मामले की परिस्थितियों ने ऐसी अनिश्चितताओं को प्रकट किया कि इसे संदिग्ध बना दिया कि क्या कोई दोषसिद्धि होनी चाहिए थी या एेसा प्रदर्शित हो कि प्रतिशोधत्मक न्याय के दायित्व को कम िकये बिना सजा में कमी की जा सकती हैं", किया जाना था । पीठ ने एक्स पार्ट फिलिप ग्रॉसमैन, (1924) 267 यू. एस. 87 में मुख्य न्यायाधीश टाफ्ट का भी हवाला दिया, जिसमें विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने राय दीः

> "कार्यकारी क्षमादान अनुचित कठोरता या आपराधिक कानून के संचालन या प्रवर्तन में स्पष्ट गलती से राहत पाने के लिए मौजूद है। अदालतों द्वारा न्याय का प्रशासन हमेशा बुद्धिमानी से या निश्चित रूप से उन परिस्थितियों पर विचार करने वाला नहीं होता है जो अपराधबोध को उचित रूप कम कर सकते हैं। एक उपाय वहन करने के लिए, यह हमेशा से लोकप्रिय सरकारों के साथ ही साथ राजतंत्र में आवश्यक माना जाता रहा है कि विशेष आपराधिक निणयों

को सुधारने या टालने की शक्ति न्यायालयों के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण में निहित करनी है। "(पैरा.8 पृष्ठ 658)

25. पीठ राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कहा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराधी मामला के रिकॉर्ड पर साक्ष्य की जांच कर सकते हैं और अदालत से अलग निष्कर्ष पर आते हैं। ऐसा करते हुए, "राष्ट्रपति न्यायिक रिकार्ड में संशोधन या परिवर्तन या अतिक्रमण नहीं करता है। न्यायिक रिकार्ड अक्षुण अैार अबाधित रहता है।राष्ट्रपति पूरी तरह से अलग स्तर पर कार्य करते हैं जिस पर न्यायालय ने कार्य किया। वह एक संवैधानिक शक्ति के तहत कार्य करता है और इसकी प्रकृति न्यायिक शक्ति से पूर्णतया भिन्न है अैार इसे इसका विस्तार के रुप में नही माना जा सकता है। पीठ ने सदरलैंड, जे. के ने यू. एस. बनाम बेंज, (1930) 75 लॉ एड 354 में सूत्रीकरण को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित कियाः

" न्यायिक शक्ति और सजा पर कार्यकारी शक्ति आसानी से अलग किए जा सकते हैं।यह एक न्यायिक कार्य है। निर्णय को प्रभावी बनाना एक कार्यकारी कार्य है। एक कार्य द्वारा क्षमादान शक्ति का प्रयोग करके दण्ड को छोटा

करना एक कार्यकारी कार्य है जो निर्णय के प्रवर्तन को कम करता है, लेकिन एक निर्णय को परिवर्तित नहीं करता है। "।

26. केहर सिंह (ऊपर) में इस न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के आदेश को गुण-दोष पर न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं किया जा सकता था सिवाय मारू राम (ऊपर) में परिभाषित सख्त सीमाओं को छोड़कर के लिए किया गया है। इसलिए, न्यायिक दायरे की समीक्षा में, केहर सिंह (ऊपर) ने मारू राम (ऊपर) के साथ सहमति व्यक्त की।

27. स्वर्ण सिंह बनाम यू. पी. और अन्य राज्य[ए. आई. आर. 1998 एससी 2026] में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि "इस न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल द्वारा पारित आदेश को छूने के लिए कोई शक्ति नहीं है। अगर इस तरह की शक्ति का मनमाने ढंग से, दुर्भावनापूर्ण या संवैधानिकता के सूक्ष्म नियमों का पूर्ण उपेक्षा में प्रयोग किया गया था, तो इससे आदेश को विधि में स्वीकार नही किया जा सकता है और ऐसे मामलों में, न्यायिक हाथ बढ़ाया जाना चाहिए "। (पैरा 12 पृष्ठ 2028)

28. पुनः सतपाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य. [ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1702] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित

किया कि माफी देने की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत बहुत व्यापक थी और इसमें समय और अवसर पर अैार परिस्थितियो के अधीन कोई सीमा शामिल नहीं थी जिसके अधीन इसे प्रयोग किया जाना था। चूकि शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, यह निम्नलिखित आधारों पर न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है -

ए.) यदि राज्यपाल सरकार द्वारा सलाह दिए बिना स्वयं शक्ति का प्रयोग करते हुए पाया गया था,

बी.) यदि राज्यपाल उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया हो,सी. अगर राज्यपाल ने बिना अपने मस्तिष्क का प्रयोग किये आदेश पारित किया होता, डी. राज्यपाल का आदेश दुर्भावनापूर्ण था, या

ई.) राज्यपाल का आदेश कुछ बाहरी विचार पर पारित किया गया था।

29. इसके अलावा, यदि राज्यपाल साधारण विचारो के बारे में सजग नही थे जैसे सजा की अवधि जिसके अधीन दोषी है, उसका आचरण और व्यवहार और ऐसे अन्य महत्वपर्ण विचारों के बारे में ,तो राज्यपाल का अनुच्छेद 161 के तहत यह आदेश का मनमाना और तर्कहीन हो जायेगा ।

30. विकास चटर्जी बनाम संघ भारत और अन्य [(2004) 7 एस. सी. सी. 634] में संविधान पीठ ने न्यायिक समीक्षा की सीमा पर वही दोहराया जो सिद्धांत मारू राम (ऊपर) और सतपाल (ऊपर)मे अभिनिशचित किया गया ।

31. एपुरू सुधाकर और अन्य बनाम ए. पी. सरकार औ अन्य [ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 3385] में इस न्यायालय ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय किया गया था कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा क्षमा की शक्ति का प्रयोग या गैर-प्रयोग न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं था कुछ मामलों में सीमित न्यायिक समीक्षा उपलब्ध थी।

32. न्यायमूर्ति पसायत ने फैसला सुनाते हुए कहा, अनुच्छेद 72 और 161 के तहत पारित आदेश की न्यायिक समीक्षा के आधार व्यक्त किये। वे आधार इस प्रकार हैं

(क) कि आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग के पारित किया गया है;

(ख) कि आदेश दुर्भावनापूर्ण है;

(ग) कि आदेश पूरी तरह से अप्रासंगिक विचार पर या बाहरी रूप से पारित किया गया है या;

(घ) कि प्रासंगिक सामग्री को विचार करने से बाहर रखा गया है ;

(ई) कि आदेश मनमानेपन से ग्रस्त है।

33. न्यायमूर्ति कपाड़िया (उस समय उनके अधिपति के रूप में) ने सहमति देने वाली राय में कहा कि "माफी देना किसी भी मायने में दोषसिद्धि के फैसले को उलटना नहीं है, बल्कि यह एक कार्यकारी कार्रवाई है जो अपराध के लिए सजा को कम करती है या अपास्त करती है। यह दोषसिद्वि के प्रभाव को, प्रतिवादी के अपराध या निर्दोषता को संबोधित किए बिना, समाप्त करती है। मुख्य बिन्दू जो यह तय करता है कि विशेषाधिकार शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है, इसका स्रोत नहीं है लेकिन इसका विषय-वस्तु है। (पैरा 64 पृष्ठ 3402)

34. लार्डशिप ने आगे कहा कि "शक्ति का प्रयोग" प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और उस शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता या औचित्य प्रत्येक मामले के आधार पर तय होती है। न्यायिक समीक्षा के लिए व्यापक संवैधानिक औचित्य है कि कानून का शासन होना चाहिए। " (पैरा 65,67 पृष्ठ 3402)

35. उस मामले में, माफी का आदेश पारित किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ, इस निष्कर्ष पर कि अभियुक्त, हत्या में शामिल नहीं था, को गलत तरीके से फंसाया गया था और झूठे गवाह प्रस्तुत किये गये

थे। इस न्यायालय ने ऐसे कारणों को अप्रासंगिक अभिनिर्धारित किया और अभिनिर्धारित किया कि माफी का आदेश खराब था।

36. उपर्युक्त न्यायिक निर्णयों से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल द्वारा शक्ति के प्रयोग पर न्यायिक समीक्षा क्षेत्र सीमित है।

37. अगर हम देखें तो उपरोक्त सिद्धांतों को अपने मस्तिष्क में रखते हुए हम राज्यपाल के आदेश को देखते है ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यपाल द्वारा क्षमा करने में मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। राज्यपाल के आदेश में कुछ कारण भी शामिल हैं।

38. राज्यपाल के आदेश में दोषसिद्धि के आदेश और उस पर लगाए गए दंड का कोई संदर्भ नहीं है। यह स्वयंसिद्ध है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की शक्ति को प्रयोग में लेने से पहले, पूर्ववर्ती शर्त यह है कि व्यक्ति या व्यक्तियों को विधि के विरुद्घ अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए अैार सजा के अधीन होने चाहिए। इसलिए, अभियुक्त के संबंध में राज्यपाल के आदेश में दोषसिद्धि या सजा के आदेश का किसी भी संदर्भ को छोड़ने का वास्तव में कोई परिणाम नहीं है।

39. हालाँकि, इस मामले में इससे पहले कि राज्यपाल माफी का उपरोक्त आदेश पारित कर सकें, अभियुक्त व्यक्ति ने दोषसिद्धि और

सजा के आदेश के खिलाफ अपील दायर की और ये उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी। राज्यपाल के लिए क्षमा करने की अपनी शक्ति स्वीकार करने से पहले विचार करने के लिए यह एक प्रासंगिक तथ्य है। लेकिन, राज्यपाल के इस आदेश में इस तथ्य का कोई संदर्भ नहीं है। इसलिए यह न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने के लिए इच्छुक है कि सभी प्रासंगिक तथ्य संभवतः राज्यपाल के समक्ष नहीं रखे गए थे।

40. इसके अलावा, राज्यपाल के आदेश में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि राज्यपाल ने, संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा की प्रार्थना करने वाले अभियुक्त व्यक्तियो के अपराध या निर्दोषता के बारे में कुछ टिप्पणियां थीं।

41. यह सुस्थापित है कि एक आपराधिक मुकदमे में एक आरोपी व्यक्ति पर निर्दोषता या अन्यथा पर निर्णय लेना सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार भीतर अनिवार्य रूप से एक न्यायिक कार्य है। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमा स्वीकार करने की शक्ति कार्यपालिका के कार्य का प्रयोग करना है जो न्यायालय को अभियुक्त की निर्दोष या दोषी घोषित करने शक्ति से स्वतंत्र है। आपराधिक मुकदमे के विचारण में न्यायालय की शक्तियाँ और बचे हुए इस न्यायालय तक के अपील के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 72/161 के तहत

राष्ट्रपति/राज्यपाल पूरी तरह से अलग क्षेत्रों में काम करते है और इन दोनों शक्तियों की प्रकृति भी एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। एक को दूसरे पर दखलन्दाजी नही करनी चाहिए। इसलिए राज्यपाल का यह आदेश, यदि हम सम्मान के साथ ऐसा कहते हैं, तो अभियुक्त की निर्दोषता की घोषणा करने से, संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अनुमत संवैधानिक सीमाओं से आगे चला गया है।

42. इन कारणों से, हम यह अभिनिर्धारित करने को विवश हैं कि हम राज्यपाल के आदेश को स्वीकृत नही कर सकते है। इसिलए हम इसे अपास्त करते है और इसे माननीय राज्यपाल को कानून के अनुसार मामले पर विचार करने के लिए वापस भेजते है।

43. इस संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि तीन अभियुक्त व्यक्ति, दो व्यक्ति नामतः प्रेम कुमार और नारायण दत्त को उनके द्वारा दायर आपराधिक अपीलो के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय ने 11.3.2008 के निणर्य और आदेश से दोषमुक्त कर दिया था।

44. इस प्रकार अपीलों का निपटारा किया जाता है। खर्चो के बारे में कोई आदेश नहीं ।

अपीलों का निपटारा किया गया।

बी. बी. बी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डॉ सोनिया पूर्वा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादीत किया गया है और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्याव्हारिक और आधिकारीक उदेश्ययो के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन अैार कार्यान्वयन के उदेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।